

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 07 / 03 / 2019 ई०।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 2143 / विभागीय अधिसूचना संख्या-455 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री रामानुज प्रसाद, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-106), झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची को अगले आदेश तक झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची में इनके द्वारा धारित आप्त सचिव के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 2144 / विभागीय अधिसूचना संख्या-456 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री शंभु शरण प्रसाद, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-107), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 2145 / विभागीय अधिसूचना संख्या-457 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री ओंकार नाथ, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-108), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 2146 / विभागीय अधिसूचना संख्या-458 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री संजय पराशर, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-109), ग्रामीण विकास विभाग(ग्रामीण विकास प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग(ग्रामीण विकास प्रभाग), झारखण्ड, राँची में इनके द्वारा धारित आप्त सचिव के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 2147 / विभागीय अधिसूचना संख्या-459 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री रामाशीष कुमार, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-110), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची(नागरिक सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के फ्लोटिंग पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 2148 / विभागीय अधिसूचना संख्या-460 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री संजय कुमार कर्ण, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-112), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद को इनके पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0 2149/विभागीय अधिसूचना संख्या-461 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी0बी0 III रू0 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू0 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री अरूण कुमार सिंह, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-113), वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0 2150/ विभागीय अधिसूचना संख्या-462 दिनांक-17.01.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी0बी0 III रू0 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू0 6600, पुनरीक्षित Level-11) में प्रोन्नत श्री मनीन्द्र कुमार सिन्हा, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-114), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विधि विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0 2151 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नवीन कुमार, प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची(संप्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची का कार्यालय में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित करते हुए राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदस्थापन के उपरांत पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


7.03.2019


(जितेन्द्र बहादुर सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/प्रो0-09-03/2015 का0 2151 /राँची,

दिनांक- 07/03/ 2019 ई0।

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पंषद, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/नागरिक सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची/संयुक्त सचिव(प्रभारी स्थापना), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


7.03.2019

सरकार के अवर सचिव।